

### प्रपत्र - 3

#### भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम सं 0 .....

- |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7.   | परियोजना/स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                     | आलयू से चलियापानी तक मोटर मार्ग का निर्माण।                          |
| i)   | राज्य/संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                     | उत्तराखण्ड                                                           |
| ii)  | जिला                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चमोली                                                                |
| iii) | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली।                                   |
| iv)  | पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हैक्टेयर में)                                                                                                                                                                                                                            | 0.680 हेक्टेयर, 0.703 हेक्टेयर वन पंचायत, कुल 1.383 हेक्टेयर वन भूमि |
| 8    | पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति                                                                                                                                                                                                                                                        | —तदैव—                                                               |
| 9    | अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |
| i)   | वन का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उत्तम                                                                |
| ii)  | 'वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ..... प्रतिशत                                                        |
| iii) | प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना                                                                                                                                                                                                                       | प्रस्ताव में संलग्न                                                  |
| iv)  | पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा                                                                                                                                                                                                                                 | प्रस्ताव में संलग्न                                                  |
| 10   | भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                                                                       | भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न                                       |
| 11   | वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :                                                                                                                                                                                                                    | 2.00 किमी                                                            |
| 12   | वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
| i)   | पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :                                                                                                                                                                                                                 | लागू नहीं                                                            |
| ii)  | क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)                                        | लागू नहीं                                                            |
| iii) | क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)                      | लागू नहीं                                                            |
| iv)  | क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) | लागू नहीं                                                            |

- v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग लागू नहीं  
किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे
- 13 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या शून्य प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)
- 14 पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :
- i) क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। वन भूमि न्यूनतम है, अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं गया। स्वीकृति प्राप्त के पश्चात निर्माण करवाया जाना है।
- ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। —
- 15 किए गए अतिकमण के ब्यौरे :
- i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) नहीं
- ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के ब्यौरे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही शून्य
- iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) नहीं
- 16 क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- i क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की संलग्न विधिक प्रास्थिति।
- ii अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। संलग्न है।
- iii क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण संलग्न है। या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न है।
- iv रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय हां सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।
- iv क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय : ..... लाख
- v क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से हां पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)।
- 17 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात हां से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)।
- 18 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संस्तुति की जाती है। संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

तिथि .....

स्थान — .....

हस्ताक्षर  
**न. क्षेत्राधिकारी**  
 (नाम सहित प्रियंका रा.)  
 नामांकन संकेत  
 सरकारी मुहर